कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

जनउपयोगी सूचना

जनपद पिथौरागढ़ सहित उत्तराखण्ड के अधिकांश भागो में असामान्य मानसून की सम्भावनाऐं व्यक्त की गयी है, जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मानसून से पूर्व असामान्य वर्षा एवं आकाशीय विजली की घटनाऐ होना देखा गया है, दिनांक 22.06.2016 को विहार एवं उत्तर प्रदेश में मानसून की प्रारम्भिक वर्षा के दौरान आकाशीय विजली गिरने से लगभग 90 लोगो की मृत्यु हो गयी, उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुये, मानसून के प्रथम चरण में आकाशीय विजली/वज्रपात की घटनाओं के दौरान जनसमुदाय द्वारा निम्न प्रकार सुरक्षा, बचाव एवं नियंत्रण कार्यो में ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है–

1–वर्षा, आंधी– तूफान एवं आकाशीय विजली/वज्रपात प्रारम्भ होने पर खुले स्थानो के बजाय घरो में शरण जी जाये, घरो के खिड़की, दरवाजे तुरन्त बन्द कर दिये जाये।

2–आकाशीय विजली, वज्रपात होने वाले आकाशीय क्षेत्र के आस–पास का 15 से 25 किमी0 दूरी तक का क्षेत्र खतरे की सीमा में आ सकता है, अतः खतरे का आभाष होते ही सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्परता बरती जाये।

3–आकाशीय विजली, वज्रपात का प्रभाव 20 से 35 मिनट तक हो सकता है उसके पश्चात इसकी पुर्नावृत्ति स्वतः कम होने लगती है, अतः आकाशीय विजली/वज्रपात की घटना प्रारम्भ होने के उपरान्त 35 मिनट तक विशेष सावधानी, सुरक्षा एवं आवागमन पर नियंत्रण बरता जाये।

4–यदि व्यक्ति रास्तों में हो तो पक्की चट्टानो, गुफाओं एवं दीवारो का सहारा लें, हरे पेड़ो, विद्युत के पोलों एवं तारो से दूर रहे, खुले मैदान में भी खड़े ना रहें।

5–आकाशीय विजली की कड़क एवं चमक के दौरान बाहर न निकले, यदि बाहर है तो तुरन्त किसी घर में शरण लें तथा घर एवं कमरों के दरवाजे तुरन्त बन्द करें एवं बच्चों एवं महिलाओं को खिड़की दरवाजों से बाहर न झाकने दें।

6–ऊँची संरचनाओं जैसे ऊँचे पेड़, कॉम्यूनिकेशन टावर, विद्युत पोल, सोलर टावर, ऊँचे भवन, ट्रान्सफार्मर, टेलीफोन एवं विजली की लाइने एवं ऊँचे पहाड़ियों से दूर रहें।

7–खुले धातु युक्त चलने वाली चीजें जैसे साइकिल, मोटर साइकिल, ट्रैक्टर से दूर रहे एवं यदि आप कार, बस अथवा ट्रेन, आदि में सफर कर रहे हो तो समस्त शीशे तुरन्त बन्द किये जायें।

8–बाथिंग टब, नदी, तालाब, वाटर टैंक, पानी के नलों आदि से आकाशीय विजली की कड़क एवं चमक के दौरान दूर रहें।

9–विजली के समस्त उपकरणों जैसे टेलीफोन रिसीवर, मोबाइल, फोन पर वार्ता करने से बचे, कम्प्यूटर, टेलीविजन आदि को तुरन्त बन्द कर दें।

10–घरो के निकट स्थित पेड़ो को गोलाई में काटते हुये छोटा बनाये रखें।

11–आकाशीय विजली के खतरों से बचाव हेतु घरों, टावरों, पोलो, मन्दिरों में पूर्व से ही नुकीले तड़ित चालक लगाकर उनकी अर्थिंग की जायें।

12–यदि आकाशीय विजली की चपेट में कोई व्यक्ति आकर घायल हो जाये तो उसको प्राथमिक सहायता करे, उसे सांस देने एवं हृदय चलाने हेतु प्रांथमिक सहायता प्रदान करे, घायल को तुरन्त चिकित्सालय में लाये, जले हुये अंग/घाव को हलका ढक दें।

13–जंगल, रास्ते, एकान्त स्थान पर होने पर अपने को मोड़कर किसी बन्द स्थान की तरफ जैसे चट्टान, गुफा आदि में सिमट जाये।

14–जमीन से मात्र जूते युक्त पांवो का ही टच रहे, ध्यान रहे कि आपका शरीर धातु निर्मित वस्तुओं जो विद्युत के सुचालक है के सम्पर्क में न रहें।

अतः उपरोक्त विषयों पर ध्यान देते हुये सूचना को जनहित में प्रसारित किया जायें।

24/06

(एच.सी. सेमवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक 603 /तेरह–आ0प्र0/जनउपयोगी सूचना/2016–17 **दिनांक** 24 **जून, 2016**

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आपदा प्रबन्धन प्रणाली से जुड़े समस्त विभागें/पंचायत प्रतिनिधियों/स्वैछिक संगठनों/कार्यकर्ताओं/अध्यापको/भूतपूर्व सैनिकों/कृषक समूह/ग्रुप मैसेजिंग/इन्टरनेट/ वायरलेस/जन उपयोगी सूचना के रूप में प्रसारित करने हेतु।
2. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी/NIC अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी पिथौरागढ़।
3. अधिशासी निदेशक आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून को सूचनार्थ एवं राज्य स्तर पर तत्सम्बन्धित मार्गनिर्देश प्रदान करने के सुझाव सहित प्रेषित।

24/06

(एच.सी. सेमवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।